न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88 / 18	24.08.2018	24.10.2018

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (R.A.S.)

उनवान

किरण मराठा उर्फ राजकरन्ता पुत्री रामभरोस, पत्नी बाल मुकुन्द जाति मराठा धोबी निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादनी की ओर से

निर्णय

वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खातें ख0नं0 21 नया पुराना 23 पर ख0नं0 584 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 585 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 590 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 795 रकबा 2.34 हे0, ख0नं0 918 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 919 रकबा 0.63 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.46 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। वादनी का नाम किरण मराठा है। राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादनी का नाम किरण मराठा के स्थान पर राजकरन्ता दर्ज हो गया है। जबकि वादनी का नाम किरण मराठा ही है। वादनी के राशन कार्ड व आई डी व आधार कार्ड में व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में किरण मराठा दर्ज है। प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम किरण मराठा के स्थान पर राजकरन्ता अंकित कर दिया है जिस कारण ऋण, खाद बीच आदि लेनें में परेशानी आ रही है। जिसके कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। वर्तमान में भी वादनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम राजकरन्ता अंकित है उसके स्थान पर

किरण मराठा दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 10.08.2018 को निवेदन करनें पर उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी नें उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम किरण मराठा के स्थान पर राजकरन्ता दर्ज कर दिये जानें के कारण व दिनांक 10.08.2018 को वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में किरण मराठा अंकित कर दुरूस्त करनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादनी ने निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 584 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 585 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 590 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 795 रकबा 2.34 हे0, ख0नं0 918 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 919 रकबा 0.63 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम राजकरन्ता के स्थान पर किरण मराठा अथवा किरण मराठा उर्फ राजकरन्ता दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय वादनी को प्रतिवादी से दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावें।

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया गया। जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी ने वाद वादनी अस्वीकार कर विशेष कथन किये कि वादनी अन्य सहखातेदार के शामलाती खातें में ग्राम भाण्डाहेडा के खाता सं0 21 पर राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम राजकरन्ता दर्ज है, किन्तु वादनी द्वारा अपनें वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों में किरण मराठा नाम दर्ज है। जिसके आधार पर राजकरन्ता के स्थान पर किरण मराठा दर्ज कराना चाहती है। जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। बाद जांच दस्तावेजों से निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादनीा की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. शपथ पत्र किरण मराठा पत्नी बाल मुकुन्द पुत्री रामभरोस, जाति मराठा धोबी उम्र 36 वर्ष निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. शपथ पत्र दिनेश कुमार पुत्र रामभरोस, जाति धोबी निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भाण्डाहेडा संवत् 2071–74 खाता नं0 21
4. तस्दीक प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा दिनांक 13.08.2018
5. छायाप्रति पास बुक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कोटा

6. छायाप्रति पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, कोटा
7. छायाप्रति आधार कार्ड किरण मराठा
8. छायाप्रति भामाशाह कार्ड किरण मराठा
9. छायाप्रति एकनोलेजमेन्ट स्लिप भामाशाह कार्ड किरण मराठा
10. छायाप्रति मूल निवास प्रमाण पत्र किरण मराठा दिनांक 06.09.2013

हमनें उभय पक्ष को अपनें-अपनें साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। जमाबंदी ग्राम भाण्डाहेडा सं0 2071-74 खाता नं0 21 में वादनी का नाम राजकरन्ता पुत्री रामभरोस दर्ज है। किन्तु वादनी की ओर से यह तथ्य साबित नहीं किया गया है कि नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादनी का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है, इस सम्बन्ध में वादनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि प्रस्तुत साक्ष्य छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति भामाशाह कार्ड, छायाप्रति बैंक पास बुक आदि में वादनी का नाम किरण मराठा अंकित है तथा ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा सरपंच द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र से राजकरन्ता उर्फ किरण मराठा पुत्री रामभरोस निवासी भाण्डाहेडा दोनों नाम एक ही महिला के होना जाहिर आता है। वादनी एवं दिनेश कुमार पुत्र रामभरोस, जाति धोबी निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी कथन किये गये है कि किरण मराठा व राजकरन्ता दोनों नाम एक ही महिला के है तथा वादनी को दोनों नामों से जाना जाता है एवं वादनी के पहचान के दस्तावेंजों में किरण मराठा नाम ही अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं सहखातेदार दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वादनी का नाम ग्राम भाण्डाहेडा की जमाबंदी सं0 2071-74 खाता नं0 21 में दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 584 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 585 रकबा 0.68 हे0, ख0नं0 590 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 795 रकबा 2.34 हे0, ख0नं0 918 रकबा 0.29 हे0, ख0नं0 919 रकबा 0.63 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम राजकरन्ता पुत्री रामभरोस के स्थान पर किरण मराठा उर्फ राजकरन्ता पुत्री रामभरोस जाति धोबी दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनॉक 24/10/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद